पहली बार श्रमिकों के लिये ऐतिहासिक योजनाएं

योजनाओं के लाभ के लिये श्रमिकों का पंजीयन 1 अप्रैल से

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

- गर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये 4 हजार रुपये। प्रसव होने पर महिला के खाते में 12 हजार 500 रुपये जमा किये जायेंगे।
- घर के मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को दो लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपये की सहायता।
- श्रमिक की मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत/नगरीय निकाय से 5 हजार रुपये की नगद सहायता।
- गंभीर बीमारी से ग्रस्त श्रमिकों के लिए प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था। जरूरी होने पर बड़े शहरों में भी इलाज का इंतजाम।
- हर श्रमिक को मकान। तीन साल के अंदर यह काम पूरा होगा। शहरों में श्रमिकों को पक्के मकान। गांवों में श्रमिक परिवारों को भूमि के पट्टे और पक्का मकान बनाने के लिये राशि।
- श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिये भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में पब्लिक स्कूल की तर्ज पर श्रमोदय विद्यालय।
- श्रमिकों के बच्चों की पहली कक्षा से लेकर डाक्टरेट तक पूरी पढ़ाई की फीस सरकार भरेगी। इसमें इंजीनियरिंग, मेडीकल तथा नामचीन प्रबंधन संस्थान भी शामिल होंगे।
- प्रतिष्ठित सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये असंगठित श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को बेहतरीन संस्थानों में निःशुल्क कोचिंग।
- स्वयं का रोजगार स्थापित करने वाले श्रमिकों को एक वर्ष का प्रशिक्षण और बैंक ऋण। ऋण पर सब्सिडी और ऋण की गारंटी सरकार द्वारा।
- हर साल एक लाख श्रमिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण।
- श्रमिकों को स्वरोजगार के लिये प्रशिक्षण, ऋण पर सब्सिडी। ऋण की गारंटी सरकार लेगी।
- छोटे-मोटे कामधंधों में लगे श्रमिकों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण केन्द्र। इनमें अकुशल श्रमिक बनाये जायेंगे कुशल।
- साइकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-रिक्शा और हाथठेला चलाने वाले को ई-लोडर का मालिक बनाने की पहल। 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी।
- शहरों में छोटे-मोटे काम करने वालों को साइकिल के लिये चार हजार रुपये की सहायता।
- असंगठित श्रमिक परिवारों को बिजली कनेक्शन। उनसे 200 रुपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली।
- तेंदूपत्ता तोड़ने, महुआ के फूल एवं चिरौंजी बीनने वाली श्रमिक बहनों को चरण पादुका योजना के तहत जूते-चप्पल और प्यास बुझाने के लिये उन्हें पानी की कुप्पी।

"आर्थिक असुरक्षा से जूझते असंगठित श्रमिक बहनो, भाइयो की बेहतरी के लिए हम संकल्पित हैं। उन्हें आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक बेहतरी, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए योजनाओं पर प्रभावी अमल किया जा रहा है।"

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिये पंजीयन अवश्य करायें।
पोर्टल
shramsewa.mp.gov.in
पर पंजीयन करवाएं।

असंगठित श्रमिक कौन ?

कृषि मजदूर, घरों में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले दुग्ध श्रमिक, मछली पालन श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, पक्की ईंट बनाने वाले, बाजारों में दुकानों पर काम करने वाले, गोदामों में काम करने वाले, परिवहन, हाथकरघा, पावरलूम, रंगाई-छपाई, सिलाई, अगरबत्ती बनाने वाले, चमड़े की वस्तुएँ और जूते बनाने वाले, ऑटो-रिक्शा चालक, आटा, तेल, दाल तथा चावल मिलों में काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, बर्तन बनाने वाले, कारीगर, लुहार, बढ़ई तथा माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग में लगे श्रमिक।

श्रमिक जो असंगठित, सुरक्षित उनके भी हित

/CMMadhyaPradesh /CMMadhyaPradesh